पत्रांकः /आर.जी.एम.–मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2024–25 दिनांकः का संलग्नक–

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री स्थापना हेतु चयनित मैत्री हेतु शपथ–पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित किया जाये तथा नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये

शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... ग्राम पंचायत.. विकास खण्ड..जनपद.. उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, निकट पशु चिकित्सालय, लखनऊ के अन्तर्गत मैत्री (मल्टी परपज़ ए.आई. टेक्निशीयन इन रूरल इण्डिया) के रुप में प्रशिक्षित किये जाने हेतु नामित किया गया/की गयी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं ग्राम ....ग्राम पंचायत..(स्थान), विकास खण्ड...................................... जनपद.. का/की स्थायी निवासी हूँ। मैं समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान, तथा समय–समय पर पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़ कर जाता/जाती हूँ तो मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि रु0 23000.00 (रु0 तेइस हजार मात्र) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
3. पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु एवं अन्य कार्य सम्पादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध कराया जायेगा, मैं उनको संभाल कर रखूंगा/रखूंगी एवं इस सामान के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यह पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 की सम्पत्ति होगी तथा शपथ–पत्र के बिन्दु–1 में उल्लिखित कार्यो को संतोषजनक ढंग से सम्पादित न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 को समस्त उपकरण व साज–सामान सही हालत में लौटाने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
4. पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा समय–समय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में प्रयुक्त अतिहिमीकृत वीर्य व तरल नत्रजन का मूल्य निर्धारित दर के अनुसार यू0पी0एल0डी0बी0 को भुगतान करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
5. मेरे द्वारा किये गये पशुपालन कार्यो की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारुप पर नियमित रुप से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी एवं यू0पी0एल0डी0बी0 को प्रतिमाह प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
6. मैं केवल वही पशुपालन सम्बंधी कार्य, जिसके लिए प्रशिक्षित तथा अधिकृत किया गया/गयी हूँ पशुपालको के द्वार पर उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी।
7. यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण/मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित रहकर कार्यो का निरीक्षण/मूल्यांकन कराने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
8. **यह योजना पूर्णतया स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा मैं एक स्वरोजगारी के रुप में कार्य करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अतः शासकीय सेवा में मुझे किसी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नही होगा तथा मैं इसके लिए कभी दावा नहीं करुंगा/करुंगी।**
9. प्रशिक्षणोपरान्त मैं मैत्री के रुप में इस शपथ–पत्र में क्रम संख्या–1 से 8 तक वर्णित शर्तो पर कार्य करुंगा/करुंगी। मैत्री का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता मैत्री

नाम :.. पिता का नाम ....

पता : ग्राम– ...., पोस्ट–..................................,

थाना–....................................., विकास खण्ड–................................,

जिला–......................................., पिन कोड–.......................................,

मो0नं0–................................., ई–मेल आई.डी.–..............................,

प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी मैत्री का आई.डी.नं0.–...........................

नोटरी द्वारा सत्यापित